SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra) : Sir, I associate myself with this issue.

Demand for action on report of Director Generals of Police recommending increase in representation of minorities in police force

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra): Sir, the Delhi Edition of the Indian Express of 17th July, 2014, in its news item appearing on the front page, mentioned about a report titled 'Strategy for making police forces more sensitive towards minority section' prepared by three Director Generals of Police, one each from Uttar Pradesh, Maharashtra and Tamil Nadu. As per this Report, there is a trust deficit among Muslims who see them communal, biased and insensitive. This impression, as per the Report, comes from poor representation of minorities in the forces and the conduct of some policemen during riots. This Report was presented at the Conference of DGs in New Delhi last year and awaiting action.

There is a need to increase representation of Muslims in the police force. I urge upon the Government to take action on various recommendations and suggestions contained in the Report. It would be appropriate if the Home Minster enlightens the Members of this House on this issue. Thank you.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I associate myself with this issue.

DR. E.M. SUDARSANA NATCHIAPPAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with this issue.

श्री महेन्द्र सिंह माहरा (उत्तराखंड) : महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

श्री नरेद्र बुढानिया (राजस्थान) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Shri S. Thangavelu; not there. Shri Vishambhar Prasad.

Demand to bring constitutional amendment to include 17 backward castes of Uttar Pradesh under Scheduled Caste category

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय, उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों कहार, कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, कुम्हार, प्रजापति, धीवर, बिन्दभर, राजभर, धीमर,

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

बाथम, तुरहा, गोडिया, मांझी, मछुआ को उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार ने 15 फरवरी, 2013 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से अध्ययन कराकर इथ्नोग्राफिक सर्वे कराकर भारत सरकार को अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने हेतु प्रस्ताव भेजा है। भारत सरकार द्वारा 11.4.2008 को मांगे गए निर्धारित 18 बिन्दुओं के प्रपत्र पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सूचनाएं भेजी गई हैं। इसलिए भारतीय संविधान में संशोधन कर उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति से सम्मिलित किया जाना आवश्यक है, जबकि पूर्व में ही उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में गोंड, खरवार, बेलदार, मझवार, तुरेहा जातियां, जो मछुवा समुदाय की पर्यायवाची जातियां हैं, जिनका आपस में रोटी-बेटी का रिश्ता है, अनुसूचित जाति में सम्मिलित करने योग्य हैं।

महोदय, उत्तर प्रदेश में इनकी 8% से अधिक आबादी है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार संविधान में संशोधन विधेयक लाकर उत्तर प्रदेश की कतिपय जातियों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित करने हेतु काम करे।

अतः मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि उत्तर प्रदेश की 17 पिछड़ी जातियों को संविधान के अनुच्छेद 341 में संशोधन कर अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। धन्यवाद।

चौधरी मुनव्वर सलीम (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं स्वयं को इस विशेष उल्लेख से सम्बद्ध करता हूं।

†**چودھری منوّر سلیم:** مہودے، میں خود کو اس وشیش اُلھیکھ سے سمبدّھ کرتا ہوں۔

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): Shri K.N. Balagopal. Not present. Shrimati Jharna Das Baidya. Not present. Shri Ali Anwar Ansari. Not present. Shri Narendra Kumar Kashyap. Not present. Shri Vivek Gupta.

Demand to take steps to remove problems being faced by jute industry in West Bengal

SHRI VIVEK GUPTA (West Bengal): Sir, my special mention is with reference to problems faced by jute mills in West Bengal. Our jute industry employs labour workforce

† Transliteration in Urdu Script.